

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

तारीख: दिनांक 15-9-2020

-कार्यालय द्वारा-

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषण संख्या 2020-21 हेतु विदेशी प्राथमिक शिक्षा परिषदों के अनुसंधान प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की संसद्धान्त/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 1-9-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की संसद्धान्त में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संसद्धान्तों को संसद्धान्त/पूर्व से संश्लेषित संसद्धान्तों को संसद्धान्त विस्तार/परिषद/प्रवेश शक्त वृद्धि सहित अन्य नई पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु संसद्धान्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में संसद्धान्त समिति की बैठक के क्र. 02 में विधायक इन इंडीय पाठ्यक्रम संश्लेषित करने वाली पूर्व से संसद्धान्त-संश्लेषण का प्रकरण संचालित गया। संसद्धान्त समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

निम्नी श्रेणी में प्राथमिक शिक्षा इन इंडीय पाठ्यक्रम संश्लेषित करने वाली विदेशी प्राथमिक शिक्षा परिषदों, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एम्बार्डेन्सी/सीटीईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संसद्धान्त अनुसंधान विस्तार प्रदान किया गया है। इन संसद्धान्तों में एम्बार्डेन्सी/सीटीईई द्वारा प्रदान किये गये अनुसंधान विस्तार के अनुसार उनमें नाम के सम्पूर्ण अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश शक्तों के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से संसद्धान्त विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्बार्डेन्सी/सीटीईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु उपरोक्त अनुसंधान विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु संसद्धान्त विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को उत्तर प्रदेश संसद्धान्त समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संसद्धान्तों को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नान्वित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शक्तों के प्रवेश शक्तों हेतु संसद्धान्त विस्तार प्रदान की जाती है -

| क्र. सं. | संख्या/श्रेणी | संस्था का नाम                                                                               | पाठ्यक्रम का नाम                              | एम्बार्डेन्सी/सीटीईई / द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश शक्त | परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश शक्त |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 1831          | बीनामकी इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टैलिग्राफ़ इन्फ़ॉर्मेशन, पता: पी.ए. दिल्ली कालोनी, बाह्यपार, मेरठ। | विदेशी इंडीय एलेक्ट्रॉनिक्स इंडीय नैशनल इंडीय | 80<br>80<br>160                                                     | 80<br>80<br>160                                    |

**संसद्धान्त हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या एम्बार्डेन्सी/सीटीईई/ वीएनई-आई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1982, सेमेस्टर विनियमनकारी-2018 तथा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडीय पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30,150.00/- । वर्ष, दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम हेतु रु. 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु रु. 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से लेना किया जायेगा। कार्यवाही की अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्ध-समय पर सलाह द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारनादेश प्रकाशित होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताएं करें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (3000) प्राथमिक शिक्षा समिति/वै. तथा उप समितियों, संसद्धान्तों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमनकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

*(Handwritten signature)*

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537****लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021****:कार्यालय आप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दान पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

| <b>संस्था का कोड एवं नाम : 1531-SHRINATHJI INSTITUTE FOR TECHNICAL EDUCATION, GHAT ROAD, DELHI ROORKEE BYPASS, MEERUT</b> |                         |                                                                                |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>क्र०सं०</b>                                                                                                            | <b>पाठ्यक्रम का नाम</b> | <b>ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता</b> | <b>परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता</b> |
| 1                                                                                                                         | MECHANICAL ENGINEERING  | 120                                                                            | 120                                                          |
| 2                                                                                                                         | CIVIL ENGINEERING       | 60                                                                             | 60                                                           |
| 3                                                                                                                         | ELECTRICAL ENGINEERING  | 60                                                                             | 60                                                           |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1531-SHRINATHJI INSTITUTE FOR TECHNICAL EDUCATION**

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम       | ए०आई०सी०टी०ई०/<br>पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-<br>23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र<br>2022-23 हेतु<br>अनुमोदित प्रवेश<br>क्षमता |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1       | MECHANICAL ENGINEERING | 120                                                                             | 120                                                            |
| 2       | CIVIL ENGINEERING      | 60                                                                              | 60                                                             |
| 3       | ELECTRICAL ENGINEERING | 60                                                                              | 60                                                             |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक